

24/6/24

परावली पेभ हुई अधिवक्ता यार्थ
यति यार्थ स्वपन दामिल आपा
आपना पर आगे नदी चलाना
चाहता ही इनी फल पर खारिज
कले हेतु निवेदन किया गया।
दस्तावेज यार्थ करवाये गये
परावली अवलेका यार्थ पर
कलक कल यार्थ यार्थ पर
स्वीकार किया जाता है परावली
इनी फल पर खारिज की जाते
हुए पूर्व मे जारी T I 15-3-24
इनी फल पर खारिज की
जाती है परावली कोपला घेरु
बाद तत्काल खारिज समल
है।

यु. नारायण

